

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

83/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2021/265

वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

- 1.मोहनलाल पुत्र मिसराराम
- 2.घीसुलाल पुत्र मिसराराम
जाति मेघवंशी
निवासी पचपदरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

- 1.भगवानाराम पुत्र मुलाराम
- 2.धर्मचन्द पुत्र मुलाराम के वारिसान
2/1.मांगीदेवी पत्नि धर्मचंद
2/2.रमेश पुत्र धर्मचंद के वारिसान
2/2/1.कमलेश पत्नि रमेश
2/2/2.गर्वित पुत्र रमेश नाबालिग
जरिए कुदरती वली माता कमलेश
पत्नि रमेश
2/3.नरेश पुत्र धर्मचंद
2/4.धनश्याम पुत्र धर्मचंद
2/5.रेखा पुत्री धर्मचंद जाति मेगवाल
निवासी बोरावास तहसील पचपदरा
- 3.बाबुलाल पुत्र वजाराम
- 4.ओमाराम पुत्र शंकरलाल
- 5.नाथुराम पुत्र शंकरलाल
- 6.लुणाराम पुत्र शंकरलाल
- 7.लेखाराम पुत्र शंकरलाल
- 8.गंगादेवी पत्नी शंकरलाल
जाति मेघवंशी निवासी पचपदरा
तहसील पचपदरा
- 9.राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

- 1.श्री करणसिंह भाटी अधिवक्ता वादीगण
- 2.श्री खुशहालराम पटेल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 8
- 3.प्रतिवादी संख्या 09 अनुपस्थित।



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक- 29/12/2025

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा पचपदरा पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 484, 485, 2439/493, 2440/493, 2441/494, 2442/494, 495, 496, 497 रकबा क्रमशः 03.01, 04.08, 00.01, 00.15, 00.12, 65.05, 04.02, 06.12, 27.14 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 03.10.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जो बाद सुनवाई विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पचपदरा पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 484, 485, 2439/493, 2440/493, 2441/494, 2442/494, 495, 496, 497 रकबा क्रमशः 03.01, 04.08, 00.01, 00.15, 00.12, 65.05, 04.02, 06.12, 27.14 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्रं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	किस्म	बरंग
1	ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/20 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार गंगादेवी पत्नी शंकरलाल हिस्सा 1/20 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार धर्मचंद पुत्र मूलाराम हिस्सा 1/4 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार नाथुराम पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/20 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार बाबुलाल पुत्र वजाराम हिस्सा 1/4 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार भगवानाराम पुत्र मूलाराम हिस्सा 1/4 जाति मेघवाल सा. देह	पचपदरा	484 485 495 496 497 2442/494	0.7714 1.1129 1.0370 1.6693 7.0061 4.3757	बा.अव्वल बा.अव्वल बा.अव्वल बा.अव्वल बा.अव्वल बा.अव्वल	केसरिया




सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

	खातेदार लेखाराम पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/20 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार लूणाराम पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/20 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार					
2	घीसूलाल पुत्र मिसराराम हिस्सा 21657/61588 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार मोहनलाल पुत्र मिसराराम हिस्सा 39931/61588 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	पचपदरा	2440/493 2442/494	0.1897 12.1279	बा.अव्वल बा.अव्वल	वैगनी

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण


भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।


(अशोक कुमार)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 29/12/2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।




सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री-पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 83/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2021/265

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1.मोहनलाल पुत्र मिसराराम
2.घीसुलाल पुत्र मिसराराम
जाति मेघवंशी
निवासी पचपदरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1.भगवानाराम पुत्र मुलाराम
2.धर्मचन्द पुत्र मुलाराम के वारिसान
2/1.मांगीदेवी पत्नि धर्मचंद
2/2.रमेश पुत्र धर्मचंद के वारिसान
2/2/1.कमलेश पत्नि रमेश
2/2/2.गर्वित पुत्र रमेश नाबालिग जरिए
कुदरती वली माता कमलेश पत्नि रमेश
2/3.नरेश पुत्र धर्मचंद
2/4.धनश्याम पुत्र धर्मचंद
2/5.रेखा पुत्री धर्मचंद जाति मेगवाल
निवासी बोरावास तहसील पचपदरा
3.बाबुलाल पुत्र वजाराम
4.ओमाराम पुत्र शंकरलाल
5.नाथुराम पुत्र शंकरलाल
6.लुणाराम पुत्र शंकरलाल
7.लेखाराम पुत्र शंकरलाल
8.गंगादेवी पत्नी शंकरलाल जाति मेघवंशी
निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा
9.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा




राजस्व वाद बाबत:-88,53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर:-83/2021

निर्णय दिनांक :-29.12.2025

वादीगण की ओर से श्री करणसिंह भाटी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी की ओर से श्री खुशहालराम पटेल की उपस्थिति इस वाद में आज तारीख 29.12.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 29.12.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते है, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 29.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(अशोक कुमार) 29/12/25
 सहायक कलेक्टर
 (एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	_____	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	_____
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	_____	जोड़	_____

(अशोक कुमार) 29/12/25
 सहायक कलेक्टर
 (एस.डी.ओ.) बालोतरा